



राज्य नोडल एजेंसी

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना
द्वितीय तल, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन के पीछे,
रायपुर, छत्तीसगढ़, दूरभाष नं. 0771-4095198
सोसायटी पंजी. क्रमांक-122202023363



क्रमांक/ 40/2020/79/ 1927

रायपुर, दिनांक 18/6/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय:- कोविड-19 संक्रमित धनात्मक मरीजों के निजी पंजीकृत अस्पताल में उपचार हेतु पैकेज बाबत।

राज्य में कोविड-19 के तेजी से संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसके उपचार एवं प्रबंधन हेतु निजी पंजीकृत अस्पतालों को भी शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में कोविड-19 संक्रमित धनात्मक मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार पैकेज दर निर्धारित है:-

S.N.	Stratification and rate	Rate for Private hospital
1	General Ward+ Isolation	2200
2	ICU without Ventilator+ Isolation	3750
3	ICU with Ventilator+ Isolation	6750

इस संबंध में DKBSSY-ABPMJAY अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों में Covid-19 संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु पृथक से दिशा-निर्देश तैयार किया गया है, जो कि संलग्न है। उक्त दिशा-निर्देश अनुसार निजी अस्पतालों हेतु अनिवार्य मापदंड जैसे - न्यूनतम 50 बिस्तर, पृथक ब्लॉक या बिल्डिंग (जिसकी एन्ट्री एवं एक्जिट अलग से हो, जिससे पॉजिटिव कोविड मरीज तथा अन्य मरीज परस्पर न मिल सकें।), आई.सी.यू. ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, विशेषज्ञ, स्टॉफ, डॉनिंग, डॉफिंग इत्यादि तथा राज्य द्वारा समय-समय पर कोविड-19 हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। योजनांतर्गत निजी पंजीकृत अस्पतालों का गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण कर अनुशंसा उपरांत DKBSSY-ABPMJAY TMS में निर्धारित पैकेज दर उपलब्ध कराया जावेगा।

उपरोक्तानुसार पैकेज की जानकारी समस्त पंजीकृत निजी अस्पतालों में प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुशंसित इच्छुक/चयनित अस्पताल की जानकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 18/6/2020

पृ. क्रमांक /40/2020/79/ 1928
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. राज्य कार्यक्रम अधिकारी (आई.डी.एस.पी.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़

**MINIMUM REQUIREMENT FOR COVID-19 under DKBSSY-ABPMJAY FOR NONCOVID
PRIVATE HOSPITAL**

Hospital Empanelment Criteria- Other parameters will be same as Empanelment guidelines for General Medicine and Critical Care under DKBSSY.

- Bed Strength-minimum 50 bedded hospitals
Hospitals will have separate block or building for COVID-19 admissions
With separate exit-entry, no mixing*
- Facilities- ICU-10-15% of total number of bed
- Mechanical Ventilation facilities- ventilators and other external ventilation equipments*
- Centralized Oxygen Facility-No interruption in supply.
- Full time-Round the clock availability of MD Medicine/MD/DA anaesthesia/Critical care specialist/Pulmonologist
- Duty Doctors-MBBS with ICU experience at least one year experience
- Quarantine facility for staff must be available.
- Infection Control measures and biomedical waste management
- Proper record and notification to designated local authority is must.
- Donning and doffing area must be there.

*Guidelines and circulars related to Covid-19 Treatment and Centre released by Govt. must be followed.

Proposed Stratification under each package rates to be proposed by Private Providers for occupied beds only.

- General Ward-Isolation Rs. 2200 per day
- ICU without ventilators plus Isolation -Rs. 3750 per day
- ICU with Ventilator plus Isolation- Rs. 6750 per day

Guidelines for COVID-19 Packages:-

- Per-day charges is inclusive of medicine, consumables, PPE charges
- Packages will be available or can be blocked for Confirmed Covid Cases only.
- Discharge policy to be followed as per State Guidelines
- The above given packages are given for entitled DKBSSY-ABPMJAY beneficiaries only.
- In case of Covid testing done by Govt. Laboratory then the COVID-Test claim will not be considered.
- Separate functionality is given for Confirmed COVID-19 patients; claims will be considered only through this functionality.

Configuration of COVID-19 Packages in empanelled Private Hospitals will be done only after recommendation of Chief Medical Health Officer of the Hospital District.

